

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 624] No. 624] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 7, 2016/भाद्र 16, 1938

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 7, 2016/BHADRA 16, 1938

विदेश मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 2016

सा.का.नि. 860(अ).—भारत गणराज्य और बांग्लादेश जनवादी गणराज्य के मध्य प्रत्यर्पण संबंधी संधि पर 28 जनवरी, 2013 को ढाका में हस्ताक्षर किए गए थे तथा अनुसमर्थन की लिखत का विनिमय ढाका में 23 अक्तूबर, 2013 को हुआ था;

और, उक्त संधि के अनुच्छेद 21 के पैरा (2) के उपबंधों के अनुसरण में उक्त प्रत्यर्पण संधि को 23 अक्तूबर 2013 से प्रवृत्त किया गया था;

और, उक्त संधि इस आदेश की अनुसूची में विर्निदिष्ट है;

अतः अब, केंद्रीय सरकार, प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 (1962 का 34) की धारा 12 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि अध्याय 2 से भिन्न, उक्त अधिनियम के उपबंध, बांग्लादेश जनवादी गणराज्य पर उक्त संधि के प्रवृत्त होने की तारीख से लागू होंगे।

अनुसूची

"भारत गणराज्य और बांग्लादेश जनवादी गणराज्य के मध्य प्रत्यर्पण संबंधी संधि"

भारत गणराज्य की सरकार और बांग्लादेश जनवादी गणराज्य की सरकार:

अपराधियों के पारस्परिक प्रत्यर्पण का प्रावधान करके आतंकवाद से जुड़े अपराधों सहित अन्य अपराधों का दमन करने में दोनों देशो के बीच सहयोग को और प्रभावी बनाने की इच्छा से:

यह स्वीकार करते हुए कि आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए ठोस उपायो की आवश्यकता है;

4321 GI/2016 (1)

निम्नलिखित अनुसार सहमत हुए हैं-

अनुच्छेद – एक

प्रत्यर्पण करने के दायित्व

- (1) प्रत्येक संविदाकारी पक्ष इस संधि के उपबंधो के अध्याधीन किसी ऐसे व्यक्ति को, जिस पर किसी एक पक्ष के क्षेत्र में इस संधि के अनुच्छेद 2 में यथावर्णित किसी प्रत्यर्पण अपराध को करने का आरोप लगाया जा रहा है अथवा दोषसिद्ध है, तो दूसरे पक्ष के क्षेत्र के भीतर पाए जाने पर, दूसरे संविदाकारी पक्ष को प्रत्यर्पित करने पर सहमित व्यक्त करता है।
- (2) अनुरोधकर्ता देश के भूक्षेत्र से बाहर किये गए किसी भी प्रकार के प्रत्यर्पणीय अपराध के संबंध में अनुरोधप्राप्तकर्ता देश इस संधि के अध्याधीन प्रत्यर्पण की मंजूरी देगा, यदि उसके कानून में सद्दरश परिस्थितियों में इस प्रकार के अपराध हेतु दंड की व्यवस्था होगी।

अनुच्छेद – दो

प्रत्यर्पणीय अपराध

- (1) इस संधि के प्रयोजनार्थ प्रत्यर्पणीय अपराध किसी भी रूप में वर्णित वे अपराध हैं जिनके लिए दोनों संविदाकारी देशों के कानून में कम से कम एक वर्ष की अधिकतम अविध के लिए कैद का प्रावधान है।
- (2) कोई अपराध प्रत्यर्पणीय अपराध होगा, चाहे यह कराधान अथवा राजस्व अथवा बैंकिंग कारोबार से संबंधित अथवा पूर्णत: राजकोषीय स्वरूप का क्यों न हो।
- (3) यह निर्धारित करने में कि कोई अपराध दोनों संविदाकारी देशों के कानूनों के तहत एक दंडनीय अपराध है अथवा नहीं इस बात का कोई प्रभाव नहीं होगा कि क्या दोनों संविदाकारी देशों के कानून अपराध के इस कृत्य या चूक को अपराध के उसी श्रेणी में रखते हैं अथवा अपराध को उसी नाम से जानते हैं।
- (4) किसी प्रत्यर्पणीय अपराध को अंजाम देने में एक सहयोगी के रूप में उस अपराध को अंजाम देने या सहयोग करने, बढ़ावा देने, उकसाने अथवा शामिल होने की कोशिश किए जाने के मामले में भी प्रत्यर्पण किया जाएगा।

अनुच्छेद – तीन

समग्र अपराध

इसके बावजूद कि प्रत्यर्पण किए जाने वाले व्यक्ति का कृत्य पूर्णत: अथवा अंशत: अनुरोधप्राप्तकर्ता देश में हुआ है, किसी अपराध के लिए इस संधि के अनुरूप प्रत्यर्पण की व्यवस्था होगी। यदि देश के कानून के अध्यधीन यह कृत्य तथा इसके प्रभाव अथवा लक्षित प्रभाव को पूर्णत: अनुरोधकर्ता देश के भूक्षेत्र में किया गया प्रत्यर्पणीय अपराध समझा जाएगा।

अनुच्छेद – चार

केंद्रीय प्राधिकरण

भारत गणराज्य हेतु केंद्रीय प्राधिकरण विदेश मंत्रालय होगा और बांग्लादेश जनवादी गणराज्य हेतु केंद्रीय प्राधिकरण गृह मंत्रालय होगा। प्रत्येक संविदाकारी देश दूसरे संविदाकारी देश को केंद्रीय प्राधिकरण में किसी परिवर्तन के बारे में राजनयिक माध्यम से सूचित करेगा।

अनुच्छेद – पाँच

राष्ट्रिकों का प्रत्यर्पण

इस संधि में किया गया कोई भी प्रावधान अनुरोधप्राप्तकर्ता देश द्वारा उसके राष्ट्रिकों के प्रत्यर्पण को प्रतिबाधित नहीं करेगा, चाहे वह उसके भूक्षेत्र में किया गया अपराध हो अथवा उसके भूक्षेत्र से बाहर किया गया कोई अपराध हो।

अनुच्छेद – छ:

राजनैतिक अपराध और इसके अपवाद

- (1) प्रत्यर्पण से इंकार किया जा सकता है यदि वह अपराध जिसके लिए यह अनुरोध किया गया है, राजनैतिक स्वरूप का हो।
- (2) इस संधि के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित अपराधों को राजनैतिक स्वरूप का अपराध नहीं माना जाएगा:-
 - (क) वे कृत या चूक, जो बहुपक्षीय संधियों के तहत दायित्वों के अनुसार अपराध के रूप में दंडनीय हो, जिसके दोनों देश पक्षकार है;
 - (ख) हत्या;
 - (ग) नरसंहार अथवा आपराधिक मानवसंहार;
 - (घ) शारीरिक क्षति पहुचाने वाला अथवा घायल करने वाल कोई हमला, किसी हथियार के द्वारा, किसी खतरनाक पदार्थ के द्वारा अथवा किसी अन्य तरीके से विद्ववेषपूर्ण तरीके से घायल कारण अथवा गंभीर शारीरिक क्षति पहुचाया जाना;
 - (ङ) कोई विस्फोट करना, जिससे जीवन के खतरे में पड़ने तथा सम्पति को भारी नुकसान पहुचने की आशंका हो;
 - (च) किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा विस्फोटक पदार्थ का निर्माण किया जाना अथवा रखा जाना जिसकी मंशा या तो स्वयं अथवा किसी अन्य व्यक्ति के जरिये जीवन के लिए खतरा पैदा करने अथवा सम्पति को भारी नुकसान पहुँचाने की हो;
 - (छ) किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जिसकी मंशा या तो स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के जरिये जीवन के लिए खतरा पैदा करने के लिए आग्नेयास्त्र अथवा गोला-बारूद रखा जाना;
 - (ज) गिरफ्तारी अथवा हिरासत के विरुद्ध प्रतिरोध करने अथवा इसे रोकने की मंशा से आग्नेयास्त्र का उपयोग किया जाना:
 - (झ) जीवन को खतरे में डालने की मंशा से अथवा दूसरों की जिन्दगी पर खतरा उत्पन्न होने की चिंता किए बिना जनोपयोगी सम्पति अथवा अन्य सम्पत्तियों को नुक्सान पहुंचाना;
 - (অ) बंधक बनाए जाने सहित अपहरण, अप्राधिकृत बंदीकरण, मिथ्या कैद अथवा अवैध गिरफ्तारी;
 - (ट) हत्या के लिए उकसाना;
 - (ठ) आंतकवाद से सम्बंधित अन्य कोई अपराध जिसे अनुरोध प्राप्त होने के समय अनुरोधप्राप्तकर्ता पक्ष के कानून के अंतर्गत एक राजनैतिक स्वरूप का अपराध नहीं माना गया है; और
 - (ड) उपर्युक्त कोई अपराध किए जाने के लिए किया गया प्रयास अथवा षडयंत्र अथवा ऐसा कोई अपराध करने वाले अथवा अपराध करने का प्रयास करने वाले के साथ सहापराधी के रूप में भाग लेना।

अनुच्छेद – सात

प्रत्यर्पण और अभियोजन

- (1) अनुरोधप्राप्तकर्ता देश द्वारा प्रत्यर्पण अनुरोध से इंकार किया जा सकता है, यदि वांछित व्यक्ति पर उस देश के न्यायालयों में प्रत्यर्पणीय अपराध के लिए मुकदमा चलाया जाता है।
- (2) यदि अनुरोधप्राप्तकर्ता देश इस अनुच्छेद के पैरा–I में उल्लिखित कारणों से प्रत्यर्पण के अनुरोध से इंकार कर देता है, तो वह मामलों को सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, जिससे की अभियोजन पर विचार किया जा सके। ये प्राधिकारी उसी प्रकार अपना निर्यण लेंगे, जिस पर उस देश के कानून के तहत गंभीर स्वरूप के किसी अपराध के मामले में लिया जाता है।

(3) यदि सक्षम प्राधिकारी अभियोजन नहीं चलाने का निर्यण लेते है, तो ऐसे मामले में इस संधि के अनुसरण में प्रत्यर्पण अनुरोध पर पुन: विचार किया जाएगा।

अनुच्छेद – आठ

इंकार करने के अनिवार्य आधार

- (1) किसी व्यक्ति प्रत्यर्पण नहीं किया जा सकता है यदि:
 - (क) वह अनुरोधप्राप्तकर्ता देश को इस बात से संतुष्ट करता है की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित कारणों से उसका प्रत्यर्पण किया जाना उसके साथ अन्याय अथवा उसका हनन होगा:
 - (i) जिस अपराध हेतु उस पर दोषारोपण अथवा उसे अपराधी ठहराया गया है वह अत्यंत तुच्छ स्वरूप का अपराध है; अथवा
 - (ii) उस अपराध के लिए दोषारोपण अथवा गैर-कानूनी तरीके से फरार होने जैसा भी मामला होने के उपरांत काफी समय निकल जाना; अथवा
 - (iii) उसके विरुद्ध किया गया दोषारोपण दुर्भावना ग्रस्त हो, जो न्याय के हित में न हो; अथवा
 - (ख) जिस अपराध के लिए उसे दोषारोपित अथवा अपराधी ठहराया गया है वह सैन्य अपराध हो, जो सामान्य अपराध कानून के अधीन अपराध नहीं है।
- (2) किसी व्यक्ति, जिसे किसी प्रत्यर्पणीय अपराध के लिए अपराधी ठहराया गया है, को प्रत्यर्पणित नहीं किया जा सकता है, जब तक की उसे इसके लिए चार मास अथवा अन्य प्रकार की कैद की सजा न हुई हो।
- (3) किसी ऐसे व्यक्ति का प्रत्यर्पण नहीं किया जा सकता है, यदि उस अपराध हेतु जिसके लिए उसके प्रत्यर्पण की मांग की गई हो, अनुरोधप्राप्तकर्ता देश के भूक्षेत्र में उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है। यदि वह अनुरोधप्राप्तकर्ता देश में उसकी पिछली रिहाई अथवा दोषसिद्धि से सम्बधित कानून के तहत मुक्त होने का पात्र हो।

अनुच्छेद – नौ

अस्थायी समर्पण

किसी अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र में, जहाँ कोई व्यक्ति सजा भुगत रहा हो, उस राष्ट्र के कानून द्वारा अनुमत्य सीमा तक प्रत्यर्पणीय पाए जाने पर, अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र संविदाकारी राष्ट्रों के बीच विनिर्धारित की जाने वाली शर्तों के अनुरूप उस व्यक्ति पर मुकदमा चलाये जाने के प्रयोजनार्थ अस्थायी रूप से अनुरोधकर्ता राष्ट्र को समर्पित कर सकता है। किसी अस्थायी समर्पण के पश्चात अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र में वापस लौटने वाले व्यक्ति को इस करार के प्रावधानों और अनुरोधप्राप्तकर्ता देश के मौजूदा कानून के अनुरूप उसे दी गई सजा को भुगतने के लिए अनुरोधकर्ता राष्ट्र को अंतिम रूप से सौपा जा सकता है।

अनुच्छेद – दस

प्रत्यर्पण क्रिया-विधि

- (1) इस करार के तहत, प्रत्यर्पण अनुरोध राजनयिक माध्यम से किया जाएगा।
- (2) अनुरोध के साथ निम्नलिखित संलग्न होगा:
 - (क) जिस व्यक्ति की मांग की गई है, उसक यथासम्भव सही-सही विवरण तथा कोई अन्य जानकारी जिससे उसकी पहचान, राष्ट्रीयता और आवास का पता लगाने में सहायता मिले;
 - (ख) जिस अपराध के लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, उसके तथ्यों का विवरण; और
 - (ग) कानून का पाठ, यदि कोई हो : (i) उस अपराध की व्याख्या, और (ii) उस अपराध के लिए अधिकतम सजा का निर्धारण।

- (3) यदि अनुरोध किसी अभियुक्त व्यक्ति के संबंध में प्राप्त होता है तो उसके साथ किसी जज, मजिस्ट्रेट या अनुरोध कर्ता राष्ट्र के भूक्षेत्र में अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट भी होना जरूरी है जिसमें यह साक्ष्य भी शामिल हो कि जिस व्यक्ति के लिए अनुरोध किया गया है वह व्यक्ति वही है जिसका उल्लेख गिरफ्तारी वारंट में है।
- (4) यदि उक्त अनुरोध पहले से ही सिद्धदोष और सजायाफ्ता व्यक्ति से सम्बंधित है, तो इसके साथ निम्नलिखित भी होंगे :
 - (क) सिद्धदोष ठहराए जाने और सजा दिए जाने का एक प्रमाणपत्र;
 - (ख) इस आशय का वक्तव्य की उक्त व्यक्ति को सिद्धदोष ठहराए जाने अथवा सजा दिए जाने पर प्रश्न उठाने तथा पूरा नहीं की गई सजा की अवधि बताने के लिए पात्र नहीं है।
- (5) यदि अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र यह समझता है कि इस संधि के प्रयोजनार्थ भेजी गई सूचना अथवा पेश किए गए साक्ष्य किये गए अनुरोध के सम्बन्ध में निर्णय लेने के लिए पर्याप्त नहीं है तो अनुरोधप्राप्तकर्ता राष्ट्र द्वारा अपेक्षित किसी भी अविध के भीतर अतिरिक्त साक्ष्य अथवा सूचना प्रस्तुत की जाएगी।

अनुच्छेद – ग्यारह

अंतरिम गिरफ्तारी

- (1) अत्यावश्यक मामलों में, एक संविदाकारी पक्ष, दूसरे संविदाकारी पक्ष, से वांछित व्यक्ति को अंतिम रूप से गिरफ्तारी करने का अनुरोध कर सकता है। ऐसे अनुरोध लिखित रूप में किए जाएगे और राजनियक माध्यमों के जिरये अनुरोधप्राप्तकर्ता देश के केंद्रीय प्राधिकारी को संचारित किए जाएंगे।
- (2) अंतिम गिरफ्तारी हेतु आवेदन में निम्नलिखित शामिल होंगे:
 - (क) सम्बंधित व्यक्ति के प्रत्यर्पण के अनुरोध के आशय का संकेत;
 - (ख) अनिवार्यता के कारण के सम्बन्ध में एक वक्तव्य;
 - (ग) सम्बंधित व्यक्ति की पहचान, राष्ट्रीयता तथा सम्भावित अवस्थिति और उसका विवरण;
 - (घ) अपराध का संक्षिप्त विवरण और उसके तहत विनिर्धारित सजा;
 - (ड) यदि संभव हो तो अपराध का समय तथा स्थान सहित मामले के तथ्यो का एक संक्षिप्त वक्तव्य;
 - (च) सम्बंधित व्यक्ति के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट होने अथवा सजा के निर्णय का एक वक्तव्य;
- (3) अनुरोधकर्ता देश को उसके अनुरोध के परिणाम के सम्बन्ध में बिना किसी विलम्ब के अधिसूचित किया जाएगा।
- (4) यदि ऐसे आवेदन पर गिरफ्तारी व्यक्ति के प्रत्यर्पण के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं होता है तो उसकी गिरफ्तारी की तारीख के 60 दिन पूरे होने पर उसे रिहा कर दिया जाएगा। यदि बाद में अनुरोध प्राप्त हो जाता है तो इस प्रावधान से वांछित व्यक्ति के प्रत्यर्पण के लिए आगामी कार्यवाही प्रारम्भ करने में कोई बाधा नहीं आएगी।

अनुच्छेद – बारह

विशिष्टता के नियम

- (1) इस संधि के अंतर्गत अनुरोधकर्ता देश के भूक्षेत्र में वापस भेजे गए किसी भी व्यक्ति पर इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (2) में उल्लिखित अविध के दौरान अनुरोधकर्ता देश के भूक्षेत्र में निम्नलिखित के अलावा उस भूभाग में लौटाने से पहले किए गए अथवा उससे सम्बंधित किसी भी अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जाएगा:
 - (क) ऐसा अपराध जिसके लिए उसे वापस भेजा गया है;
 - (ख) सम्बंधित व्यक्ति के किसी ऐसे अपराध, जिसके संबंध में उसकी वापसी हेतु आदेश हो, के अलावा उसकी वापसी को निरापद बनाने के प्रयोजनों हेतु प्रमाणित तथ्यों द्वारा उजागर किसी कमतर अपराध के लिए, कानूनी तौर पर नहीं बनाया जा सका, अथवा

- (ग) कोई अन्य अपराध जिसके सम्बन्ध में अनुरोधप्राप्तकर्ता देश सम्बंधित व्यक्ति पर मुकदमा चलाने जाने की सहमित दे सकता है, उस स्थिति को छोड़कर जब कोई ऐसा अपराध किया गया हो जिसके लिए उसकी वापसी हेतु आदेश कानूनी तौर पर नहीं बनाया जा सका अथवा वास्तव में नहीं बनाया जाएगा।
- (2) इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (1) में उल्लिखित अवधि वह अवधि है, जो अनुरोधकर्ता देश के भूक्षेत्र में उसके आगमन अथवा इस संधि के अंतर्गत उसकी वापसी के दिन से शुरू होती है तथा अनुरोधकर्ता पक्षकार का भूक्षेत्र छोड़ने के लिए प्राप्त अवसर के बाद के पहले दिन के पैतालीस दिन के पश्चात समाप्त होती है।
- (3) इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (1) के प्रावधान इस संधि के अंतर्गत किसी व्यक्ति की वापसी के बाद किए गए किसी अपराध अथवा ऐसे अपराधों के सम्बन्ध में उत्पन्न मामलों पर लागू नहीं होंगे।
- (4) कोई व्यक्ति किसी तीसरे देश को पुन: प्रत्यर्पित नहीं किया जाएगा, ऐसी स्थिति को छोड़कर जब उसके पास उस पक्षकार का भूक्षेत्र छोड़ने का अवसर हो, जिसमे उसने समर्पण किया है, परन्तु अपनी अंतिम रिहाई के साठ दिनों के भीतर उसने ऐसा नहीं किया है अथवा वह उस भूक्षेत्र को छोड़ने के बाद वहाँ वापस आ गया है।

अनुच्छेद – तेरह

साक्ष्य

- (1) अनुरोधप्राप्तकर्ता देश के प्राधिकारीगण प्रत्यर्पण हेतु कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में पृष्टि के माध्यम से किसी सजा के तथ्य को बताने वाला कोई भी वारंट और कोई भी प्रमाणपत्र अथवा लिया गया कोई भी साक्ष्य अथवा शपथ प्रस्तुत करेंगे यदि यह प्रमाणिक हो:
 - (क) (i) अनुरोधकर्ता देश के किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जा रहे वारंटी के सम्बन्ध में अथवा सत्यापित किए जा रहे किसी भी मूल दस्तावेज़ के सम्बन्ध में; और
 - (ii) या तो अनुरोधकर्ता देश के किसी गवाह के शपथ द्वारा उपयुक्त मंत्री के सरकारी मोहर से मोहरबंद किया हो; अथवा
 - (ख) किसी भी अन्य ऐसे तरीके से जो अनुरोधप्राप्तकर्ता देश के कानून द्वारा अनुमत्य हो।
- (2) पैराग्राफ (1) में वर्णित साक्ष्य अनुरोधप्राप्तकर्ता देश में प्रत्यर्पण कार्यवाही में अनुमत्य होंगे चाहे अनुरोधकर्ता देश में अथवा किसी तीसरे देश में शपथ ली गई हो अथवा अभिपृष्टि की गई हो।

अनुच्छेद – चौदह

प्रतियोगी अनुरोध

- (1) संविदाकर्ता देश और किसी तीसरे राष्ट्र, जिसके साथ अनुरोधप्राप्तकर्ता देश की प्रत्यर्पण व्यवस्था हो, द्वारा यदि उसी अपराध अथवा विभिन्न अपराधों के लिए उसी व्यक्ति के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया जाता है तो अनुरोधप्राप्तकर्ता देश यह निर्धारित करेगा कि किसी संविदाकर्ता देश को वह इस व्यक्ति को सौंपेगा। अपना निर्णय लेने में अनुरोधप्राप्तकर्ता देश सभी संगत कारकों जिनमें निम्नलिखित शामिल होंगे परन्तु यह इन्ही तक सीमित नहीं होगा, पर भी विचार करेगा:
 - (क) क्या ये अनुरोध किसी संधि के अनुपालन में किए गए है;
 - (ख) वह स्थान जहां ऐसा अपराध किया गया था;
 - (ग) अनुरोधकर्ता देशों के सम्बंधित हित;
 - (घ) अपराध की गंभीरता;
 - (ड) अपराधी की राष्ट्रीयता;
 - (च) अनुरोधकर्ता राष्ट्रों के बीच आगे प्रत्यर्पण की संभावना; और
 - (छ) अनुरोधकर्ता राष्ट्रों से प्राप्त अनुरोधों के वर्णानुक्रम।

अनुच्छेद- पंद्रह

भाषा

जबिक वर्तमान संधि के अनुपालन में, संविदाकारी देश दूसरे संविदाकारी देश की राष्ट्र भाषा में अंग्रेजी भाषा में अनुवाद संलग्न करके अपने राष्ट्र भाषा का प्रयोग करेगा।

अनुच्छेद- सोलह

आत्मसमर्पण

- (1) यदि प्रत्यर्पण प्रदान किया जाता है तो अनुरोधप्राप्तकर्ता देश के प्राधिकारी वांछित व्यक्ति को अनुरोधकर्ता देश के निदेशानुसार सुलभ स्थान पर अपने क्षेत्र से भेजेगा।
- (2) अनुरोधकर्ता देश उस व्यक्ति जिसका प्रत्यर्पण मांगा गया है, को अनुरोधप्राप्तकर्ता देश से एक महीने के भीतर अथवा जैसा कि अनुरोधप्राप्तकर्ता कानून के अन्तर्गत स्वीकृत ऐसी लम्बी अविध में हटा देगा। यदि उस अविध में व्यक्ति को हटाया नही जाता है, तो अनुरोधप्राप्तकर्ता इसी अपराध के लिए उसका प्रत्यर्पण करने से मना कर सकता है।

अनुच्छेद- सत्रह

सम्पत्ति का अभ्यर्पण

- (1) जब प्रत्यर्पण हेतु अनुरोध को स्वीकार किया जाता है तो अनुरोधप्राप्तकर्ता देश अनुरोध पर और जहां तक उसका कानून अनुमति देता है, अनुरोधकर्ता देश को वे वस्तुएं (धनराशि सहित) सौंपेगा जोकि अपराध के सबूत अथवा साक्ष्य हो सकते हैं।
- (2) यदि प्रश्नगत वस्तुएं अनुराध प्राप्त कर्ता देश के भू-भाग में जब्ती अथवा अधिग्रहण की पात्र हैं तो वह कार्यवाही चलने तक उन वस्तुओं को अस्थायी रूप से रख सकता है अथवा इस शर्त पर उन्हें सौंप सकता है कि उन वस्तुओं को वापस कर दिया जाएगा।
- (3) ये उपबंध, अनुरोधप्राप्तकर्ता राज्य अथवा जिस व्यक्ति का प्रत्यर्पण मांगा जा रहा है, उसके अलावा व्यक्ति के अधिकार का सम्मान करेंगे। जब ये अधिकार मौजूद हैं तो कार्यवाही की समाप्ति के पश्चात जब भी सम्भव होगा बिना प्रभार के ये वस्तुएं अनुराध प्राप्त कर्ता देश को वापस कर दी जाएंगी।

अनुच्छेद- अट्ठारह

प्रत्यर्पण में पारस्परिक कानूनी सहायता

प्रत्येक संविदाकारी देश, उसके कानून द्वारा स्वीकृत सीमा तक उस अपराध, जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है, के संदर्भ में अपराधिक मामलों में पारस्परिक सहायता के व्यापक उपायों को वहन करेगा।

अनुच्छेद- उन्नीस

<u>दस्तावेज और व्यय</u>

- (1) अगर किसी खास मामले में अनुरोधप्राप्तकर्ता देश को आवश्यकता पड़ती है तो, अनुरोधप्राप्तकर्ता देश इस संधि के प्रावधानों के अनुसार सौपे गये किसी भी दस्तावेज का अनुवाद उपलब्ध करायेगा।
- (2) प्रत्यर्पण के अनुरोध के कारण अनुरोधप्राप्तकर्ता देश के क्षेत्र में होने वाले व्यय का वहन अनुरोधकर्ता देश द्वारा किया जाएगा।
- (3) अनुरोधप्राप्तकर्ता देश के प्रतिवेदन के संदर्भ में अनुरोध के कारण होने वाले किसी भी प्रक्रिया में अपेक्षित सभी प्रबंध अनुरोधप्राप्तकर्ता देश करेगा।

अनुच्छेद- बीस

अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों/संधियों के अंतर्गत दायित्व

यह संधि संविदाकारी देशों पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों/संधियों जिनके वे पक्षकार हैं, उनके अधिकारों और दायित्व पर प्रभाव नहीं डालेगी।

अनुच्छेद- इक्कीस

अंतिम उपबंध

- (1) यह संधि इसके लागू होने के पश्चात किए गए अनुरोधों पर लागू होगी, बेशक संबंधित कृत्य और भूलचूक उस तिथि से पूर्व किया गया हो।
- (2) यह संधि अनुसमर्थन की शर्त पर है तथा जैसे ही संभव होगा अनुसमर्थन के दस्तावेजों का आदान-प्रदान किया जाएगा। अनुसमर्थन के दस्तावेजों के विनिमय की तिथि से यह संधि लागू होगी।
- (3) दोनों में से कोई भी संविदाकारी देश, दूसरे देश को राजनयिक माध्यमों से किसी भी समय लिखित में इसके समाप्त करने की सूचना दे सकता है, और यदि ऐसी सूचना दी जाती है तो यह संधि उस सूचना के प्राप्त होने के पश्चात छह मास में निष्प्रभावी हो जाएगी। परंतु यह संधि उन मामलों के संबंध में लागू होगी जिनमें प्रत्यर्पण कार्यवाही इसकी समाप्ति से पूर्व शुरू हो चुकी है।

इसके साक्ष्य स्वरूप, अपनी-अपनी सरकारों द्वारा विधिवत रूप से प्राधिकृत होकर अधोहस्ताक्षरकर्ताओं ने इस संधि को सम्पन्न किया।

आज वर्ष दो हजार तेरह के जनवरी माह के अट्ठाइसवें दिन हिन्दी, अंग्रेजी और बांग्ला भाषाओं में सम्पन्न; सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। इस संधि की व्याख्या की भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

भारत गणराज्य की सरकार की ओर से

बांग्लादेश जनवादी गणराज्य की सरकार की ओर से

[फा. सं. टी-413/31/2000]

पी. कुमारन, संयुक्त सचिव (सी.पी.वी)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

ORDER

New Delhi, the 7th September, 2016

G.S.R. 860(E).—Whereas, the Treaty between the Republic of India and the People's Republic of Bangladesh relating to Extradition was signed at Dhaka, Bangladesh on 28th day of January, 2013 and the Instruments of Ratification of the said Treaty were exchanged at Dhaka, Bangladesh on 23rd October, 2013;

And whereas, the said Treaty entered into force with effect from the 23rd October, 2013 in accordance with the provisions of paragraph (2) of Article 21 of the Treaty;

And whereas, the said Treaty is specified in the Schedule to this Order;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 12 of the Extradition Act, 1962 (34 of 1962), the Central Government hereby directs that the provisions of the said Act, other than Chapter II, shall apply to the People's Republic of Bangladesh with effect from the date of entry into force of the said Treaty.

SCHEDULE

"Treaty between the Republic of India and the People's Republic of Bangladesh Relating to Extradition"

The Government of the Republic of India and of the People's Republic of Bangladesh;

Desiring to make more effective the cooperation of the two countries in the suppression of crime by making further provision for the reciprocal extradition of offenders;

Recognizing that concrete steps are necessary to combat terrorism;

Have agreed as follows:

Article 1

Obligation to Extradite

- 1. The Contracting States agree to extradite to each other, subject to the provisions of this Treaty, persons found in the territory of one of the Contracting States who have been proceeded against for or have been charged with or have been found guilty of, or are wanted for the enforcement of a judicially pronounced penalty for committing an extraditable offence, as described in Article 2, by the judicial authority of the other Contracting State.
- 2. With respect to an extraditable offence committed outside the territory of the Requesting State, the Requested State shall grant extradition, subject to the provisions of this Treaty, if its laws would provide for the punishment of such an offence in comparable circumstances.

Article 2

Extradition Offences

- 1. An extradition offence for the purposes of this Treaty is constituted by conduct which under the laws of each Contracting State is punishable by a term of imprisonment for a period of at least one year.
- 2. An offence may be an extradition offence notwithstanding that it relates to taxation or revenue or is one of a purely fiscal character.
- 3. In determining whether an offence is an offence punishable under the laws of both Contracting States, it shall not matter whether the law of both Contracting States place the act or omission constituting the offence within the same category of offence or denominate the offence by same terminology.
- 4. Extradition shall also be granted is respect of an attempt to commit or aiding, abetting, inciting or participating as an accomplice in the commission of an extraditable offence.

Article 3

Composite Offences

Extradition shall be available in accordance with this Treaty for an extradition offence, notwithstanding that the conduct of the person sought occurred wholly or in part in the Requested State, if under the law of that State this conduct and its effects, or its intended effects, taken as a whole, would be regarded as constituting the commission of an extradition offence in the territory of the Requesting State.

Article 4

Central Authority

The Central Authority for the Republic of India shall be the Ministry of External Affairs and the Central Authority for the People's Republic of Bangladesh shall be the Ministry of Home Affairs. Each Contracting State shall inform the other Contracting State of any change of the Central Authority through diplomatic channels.

Article 5

Extradition of Nationals

Nothing in this Treaty shall preclude the extradition by the Requested State of its nationals either in respect of a territorial offence or in respect of an extraterritorial offence.

The Political Offence Exception

- Extradition may be refused if the offence of which it is requested is an offence of a political character.
- 2. For the purpose of this Treaty the following offences shall not be regarded as offences of a political character:
 - (a) any acts or omissions which are punishable as a criminal offence according to the obligations under multilateral treaties to which both Contracting States are Party.
 - (b) murder:
 - (c) manslaughter or culpable homicide;
 - (d) assault occasioning actual bodily harm, or causing injury, maliciously wounding or inflicting grievous bodily harm whether by means of a weapon, a dangerous substance or otherwise;
 - (e) the causing of an explosion likely to endanger life or cause serious damage to property;
 - (f) the making or possession of an explosive substance by a person who intends either himself or through another person to endanger life or cause serious damage to property;
 - (g) the possession of a firearm or ammunition by a person who intends either himself or through another person's to endanger life;
 - (h) the use of a firearm by a person with intent to resist or prevent the arrest or detention of himself or another person;
 - (i) damaging property whether used for public utilities or otherwise with intent to endanger life or with reckless disregard as to whether the life of another would thereby be endangered;
 - (j) kidnapping, abduction, false imprisonment or unlawful detention, including the taking of a hostage;
 - (k) incitement to murder;
 - (l) any other offence related to terrorism which at the time of the request is, under the law of the Requested party, not to be regarded as an offence of a political character;
 - (m) an attempt or conspiracy to commit any of the foregoing offences or participation as an accomplice of a person who commits or attempts to commit such an offence.

Article 7

Extradition and Prosecution

- 1. The request for extradition may be refused by the Requested State if the person whose extradition is sought may be tried for the extradition offence in the courts of that State.
- 2. Where the Requested State refuses a request for extradition for the reason set out in paragraph 1 of this Article, it shall submit the case to its competent authorities so that prosecution may be considered. Those authorities shall take their decision in the same manner as in the case of any offence of a serious nature under the law of that State.
- 3. If the competent authorities decide not to prosecute in such a case, the request for extradition shall be reconsidered in accordance with this Treaty.

Article 8

Grounds for Refusal of Extradition

- 1. A person may not be extradited if:
 - (a) he satisfies the Requested State that it would, having regard to all the circumstances, be unjust or oppressive to extradite him by reason of:
 - (i) the trivial nature of the offence of which he is accused or was convicted; or

- (ii) the passage of time since he is alleged to have committed it or to have become unlawfully at large, as the case may be; or
- (iii) the accusation against him not having been made in good faith in the interests of justice; or
- (b) the offence of which he is accused or convicted is a military offence which is not also an offence under the general criminal law.
- 2. A person who has been convicted of an extradition offence may not be extradited therefore unless he was sentenced to imprisonment or other form of detention for a period of four months or more.
- 3. A person may not be extradited if he would, if proceeded against in the territory of the Requested State for the offence for which his extradition is requested, be entitled to be discharged under any rule of law of the Requested State relating to previous acquittal or conviction.

Temporary Surrender

To the extent permitted by its law, where a person serving a sentence in the Requested State has been found extraditable, the Requested State may temporarily surrender the person sought for the purpose of prosecution to the Requesting State in accordance with conditions to be determined between the Contracting States. A person who is returned to the Requested State following a temporary surrender may be finally surrendered to the Requesting State to serve any sentence imposed, in accordance with the provisions of this Treaty and existing law of the requested country.

Article 10

Extradition Procedures

- 1. The request for extradition under this Treaty shall be made through the diplomatic channel.
- 2. The request shall be accompanied by:
 - (a) as accurate a description as possible of the person sought, together with any other information which would help to establish his identity, nationality and residence;
 - (b) a statement of the facts of the offence for which extradition is requested, and
 - (c) the text, if any, of the law: (i) defining that offence; and (ii) prescribing the maximum punishment for that offence.
- 3. If the request relates to an accused person, it must also be accompanied by a warrant of arrest issued by a judge, magistrate or other competent authority in the territory of the Requesting State, including evidence that the person requested is the person to whom the warrant of arrest refers.
- 4. If the request relates to a person already convicted and sentenced, it shall also be accompanied:
 - (a) by a certificate of the conviction and sentence;
 - (b) by a statement that the person is not entitled to question the conviction or sentence and showing how much of the sentence has not been carried out.
- 5. If the Requested State considers that the evidence produced or information supplied for the purposes of this Treaty is not sufficient in order to enable a decision to be taken as to the request, additional evidence or information shall be submitted within such time as the Requested State shall require.

Article 11

Provisional Arrest

1. In case of urgency, one Contracting State may request the other Contracting State to provisionally arrest the person sought. Such request shall be made in writing and transmitted to the Central Authority of the Requested State through diplomatic channels.

- 2. The application for provisional arrest shall contain:
 - (a) an indication of intention to request the extradition of the person;
 - (b) a statement about the reason for urgency;
 - (c) information concerning identity, nationality and probable location and a description of the person;
 - (d) a brief description of the offence and the punishment prescribed there under;
 - (e) a brief statement of the facts of the case, including, if possible, the time and the location of the offence;
 - (f) a statement of the existence of a warrant of arrest or a judgment of conviction against the person; and
- 3. The Requesting State shall be notified without delay of the result of its request.
- 4. A person arrested upon such an application shall be set at liberty upon the expiration of 60 days from the date of his arrest if request for his extradition shall not have been received. This provision shall not prevent the institution of further proceedings for the extradition of the person sought if a request is subsequently received.

Rule of Specialty

- 1. Any person who is returned to the territory of the Requesting State under this Treaty shall not, during the period described in paragraph (2) of this Article, be dealt with in the territory of the Requesting State for or in respect of any offence committed before he was returned to that territory other than:
 - (a) the offence in respect of which he was returned;
 - (b) any lesser offence disclosed by the facts proved for the purposes of securing his return other than an offence in relation to which an order for his return, could not lawfully be made; or
 - (c) any other offence in respect of which the Requested Party may consent to his being dealt with other than an offence in relation to which an order for his return could not lawfully be made or would not in fact be made.
- 2. The period referred to in paragraph (1) of this Article is the period beginning with the day of his arrival in the territory of the Requesting State or his return under this Treaty and ending forty-five days after the first subsequent day on which he has the opportunity to leave the territory of the Requesting State.
- 3. The provisions of paragraph (1) of this Article shall not apply to offences committed after the return of a person under this Treaty or matters arising in relation to such offences.
- 4. A person shall not be re-extradited to a third State, except when, having had an opportunity to leave the territory of the State to which he has been surrendered, he has not done so within sixty days of his final discharge, or has returned to that territory after having left it.

Article 13

Evidence

- 1. The authorities of the Requested State shall admit as evidence, in any proceedings for extradition, any evidence taken on oath or by way of affirmation, any warrant and any certificate of, or judicial document stating the fact of, a conviction, if it is authenticated:
 - (a) (i) in the case of a warrant being signed, or in the case of any original document by being certified, by a judge, magistrate or other competent authority of the Requesting State; and
 - (ii) either by oath of some witness or by being sealed with the official seal of the appropriate Minister of the Requesting State; or
 - (b) In such other manner as may be permitted by the law of the Requested State.

2. The evidence described in paragraph (1) shall be admissible in extradition proceedings in the Requested State whether sworn or affirmed in the Requesting State or in some third State.

Article 14

Competing Requests

If extradition of the same person whether for the same offence or for different offences is requested by a Contracting State and a third State with which the Requested State has an extradition arrangement, the Requested State shall determine to which contracting State it will surrender the person. In making its decision, the Requested State shall consider all relevant factors, including but not limited to:

- (a) whether the requests were made pursuant to a treaty;
- (b) the place where such offence was committed;
- (c) the respective interests of the Requesting States;
- (d) the gravity of the offence;
- (e) the nationality of the victim;
- (f) the possibility of further extradition between the Requesting States; and
- (g) the chronological order in which the requests were received from the Requesting State.

Article 15

Languages

While complying with the present Treaty, the Contracting Parties shall use their national language attaching the translation in the national language of the other Contracting Party or in the English language.

Article 16

Surrender

- 1. If extradition is granted, the person sought shall be sent by the authorities of the Requested State to such convenient point of departure from the territory of that State as the Requesting State shall indicate.
- 2. The Requesting State shall remove the person sought from the territory of the Requested State within one month or such longer period as may be permitted under the law of the Requested State. If he is not removed within that period, the Requested State may refuse to extradite him for the same offence.

Article 17

Surrender of Property

- 1. When a request for extradition is granted, the Requested State shall, upon request and so far as its law allows, hand over to the Requesting State articles (including sums of money) which may serve as proof or evidence of the offence.
- 2. If the articles in question are liable to seizure or confiscation in the territory of the Requested State, the latter may, in connection with pending proceedings, temporarily retain them or hand them over on condition that they are returned.
- 3. These provisions shall not prejudice the rights of the Requested State or any person other than the person sought. When these rights exist the articles shall on request be returned to the Requested State without charge as soon as possible after the end of the proceedings.

Article 18

Mutual Legal Assistance in Extradition

Each Contracting State shall, to the extent permitted by its law, afford the other the widest measure of mutual assistance in criminal matters in connection with the offence for which extradition has been requested.

Documents and Expenses

- 1. If in any particular case the Requested State so requires, the Requesting State shall supply a translation of any document submitted in accordance with the provisions of this Treaty.
- 2. Expenses incurred in the territory of the Requested State by reason of the request for extradition shall be borne by that State.
- 3. The Requested State shall make all the arrangements which shall be requisite with respect to the representation of the Requesting State in any proceedings arising out of the request.

Article 20

Obligations under International Conventions/Treaties

The present Treaty shall not affect the rights and obligations of the Contracting States arising from International Conventions/Treaties to which they are parties.

Article 21

Final provisions

- 1. The present Treaty shall apply to requests made after its entry into force, even if the relevant acts or omissions occurred prior to that date.
- 2. This Treaty shall be subject to ratification and the instruments of ratification shall be exchanged at as soon as possible. It shall enter into force on the date of the exchange of instruments of ratification.
- 3. Either of the Contracting States may terminate this Treaty at any time by giving notice to the other through the diplomatic channel; and if such notice is given the Treaty shall cease to have effect six months after the receipt of the notice.

In witness whereof the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Treaty.

Done in duplicate at Dhaka this the Twenty Eight day of the month of January of the year Two Thousand and Thirteen, in Hindi, English and Bangla, all languages being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail."

On behalf of the Government of the Republic of India

On behalf of the Government of the the People's Republic of Bangladesh [F. No. T-413/31/2000]

P. KUMARAN, Jt. Secy. (CPV)